



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 1978/भाद्र 7, 1900
No. 406] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1978/BHADRA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं० 26/78

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1978

का० आ० 532(अ).—यथा संशोधित आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947
(1947 का 18) के खण्ड 3 और 4-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय
सरकार एतद्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को आयात (नियंत्रण) 5 संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।
- (2) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में शुल्क को वसूल करने के प्रयोजन के लिए

अनुदेशों की अनुसूची 3 उप-कंडिका (1) जिसमें लेखा शीर्ष का संकेत किया गया है, उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :—

- (1) शुल्क इस शीर्ष के अन्तर्गत जमा कराया जाना चाहिये “आयात लाइसेंस आवेदन पत्र शुल्क” जो मुख्य शीर्ष “097-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन” का गौण शीर्ष है।”

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

[सं० आई टी सी/हैब/अध्याय 5(1)/1978-79]

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 26/78

New Delhi, the 29th August, 1978

S.O. 532(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and 4-A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), as amended, the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

(1) This order may be called Imports (Control) Fifth Amendment Order, 1978.

(2) In the Imports (Control) Order, 1955, in Schedule III, sub-para (i) of the instructions for the purpose of collection of fees indicating the Head of Account, shall be substituted by the following :—

“(i) The fee should be credited under the Head ‘Import Licence application fees’ subordinate to the major head ‘097-Foreign Trade and Export Promotion’.”

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

[No. ITC/HB/Chapter V/(1)/1978-79]